भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4936
दिनांक 01.04.2025 को उत्तरार्थ

आरजीएसए के लिए निधि

4936. श्री बी. के. पार्थसारथी:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2021-24 तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के पुनरुद्धार के लिए, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में आबंटित निधि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) आंध्र प्रदेश सहित उन पंचायतों का राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है जिनके पास कंप्यूटर सुविधाएं और अपना भवन है;

(ग) पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए आधारभूत अभिमुखीकरण प्रशिक्षण के अंतर्गत विशेषकर आन्ध्र प्रदेश राज्य में प्रशिक्षित प्रतिभागियों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आरजीएसए योजना की प्रगति के आकलन और निगरानी के लिए राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक और अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) द्वारा किए गए अध्ययन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) और (ख): मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को लागू किया और वर्ष 2022-23 से इसकी संशोधित योजना को लागू किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण देकर पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को सशक्त बनाना है ताकि नेतृत्वकारी भूमिकाओं लिए उनकी शासन क्षमताओं का विकास किया जा सके और ग्राम पंचायतों को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके। ये योजनाएँ मांग आधारित प्रकृति की थीं/हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत संबंधित वार्षिक कार्य योजना के आधार पर और आरजीएसए की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) द्वारा अनुमोदन के आधार पर आंध्र प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी की गई है। योजनाओं के तहत धनराशि जिलों को नहीं बल्कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई है।

वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 तक आंध्र प्रदेश सहित योजनाओं के तहत जारी की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में संलग्न है। आंध्र प्रदेश सहित जिन पंचायतों के पास अपना भवन और कंप्यूटर है

उनका ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है। जिलावार डेटा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा गया है।

(ग) इस योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, पंचायतों के कुल 11,34,084 निर्वाचित प्रतिनिधियों को विभिन्न आधारभूत अभिमुखीकरण प्रशिक्षण प्रदान किए गए, जिसमें आंध्र प्रदेश के 3873 निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल हैं।

(घ) आरजीएसए की केंद्र प्रायोजित योजना का मूल्यांकन, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) द्वारा किया गया , जिसे वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 के दौरान लागू किया गया था । मूल्यांकन रिपोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमता को सशक्त बनाने और सहभागी स्थानीय योजना के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लिए इस योजना के हस्तक्षेपों की सराहना की गई। हालांकि, इसमें पंचायती राज संस्थाओं के संचालन में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण रणनीतियों में मामूली संशोधन, और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ उत्तरदायी सेवा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के नवाचारपूर्ण उपयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। रिपोर्ट ने RGSA को जारी रखने की सिफारिश की है, जिसमें इन सुझावों के अनुसार संशोधन किया जाए, ताकि सरकार की तीसरी स्तरीय प्रणाली की शासन क्षमताओं को और मजबूत किया जा सके, SDGs को स्थानीय स्तर पर लागू किया जा सके, और लक्षित प्रदर्शन परिणामों में सुधार किया जा सके।

***

अनुलग्नक-**I**

दिनांक **01/04/2025** को दिये जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **4936** के भाग (क)एवं (ख) के उत्तर में संलग्न अनुलग्नक

वर्ष **2021-22** से वर्ष **2023-24** तक आरजीएसए योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई धनराशि

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्रो के नाम**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1	आंध्र प्रदेश	38.54	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	30.07	108.69	72.090
3	असम	44.04	55.29	77.696
4	बिहार	63.77	33.37	25.00
5	छत्तीसगढ़	7.93	0.00	17.570
6	गोवा	0.59	0.00	0.890
7	गुजरात	0.00	0.00	0.00
8	हरियाणा	0.00	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	32.42	60.645	19.310
10	झारखंड	7.74	0.00	31.000
11	कर्नाटक	29.15	36.00	20.00
12	केरल	12.00	30.40	10.000
13	मध्य प्रदेश	47.11	28.00	32.170
14	महाराष्ट्र	73.34	37.84	116.118
15	मणिपुर	2.98	8.63	9.560
16	मेघालय	0.00	0.00	6.000
17	मिजोरम	5.56	14.27	10.000
18	नागालैंड	4.58	0.00	10.000
19	ओडिशा	1.33	11.397	27.334
20	पंजाब	10.78	34.253	10.000
21	राजस्थान	17.27	0.00	21.720
22	सिक्किम	1.19	6.01	6.000
23	तमिलनाडु	39.89	25.42	0.00
24	तेलंगाना	0.00	0.00	20.00
25	त्रिपुरा	4.67	9.80	7.430
26	उत्तर प्रदेश	83.08	85.05	84.126
27	उत्तराखंड	0.00	42.48	64.670
28	पश्चिम बंगाल	15.14	4.28	33.692
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.790
संघ राज्य क्षेत्र				
30	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	1.14	1.000

31	दिल्ली	-	-	-
32	जम्मू और कश्मीर	40.00	40.00	65.000
33	लद्दाख	1.08	0.00	0.00
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	1.00
35	पुददुचेरी	0.00	0.00	0.00
अन्य कार्यान्वयन एजेंसी/एनआईआरडी एवं अन्य		3.75	10.009	14.694
	कुल	**617.99**	**682.98**	**814.860**

अनुलग्नक **-II**

दिनांक **01/04/2025** को दिये जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **4936** के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में संलग्न अनुलग्नक

उन पंचायतों का विवरण जिनके पास स्वयं का भवन एवं कम्प्यूटर है

क्र. सं	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्रो के नाम**	**पंचायत भवन वाली ग्राम पंचायाते**	**कम्प्यूटर रखने वाली ग्राम पंचायत**
1	आंध्र प्रदेश	11478	9556
2	अरुणाचल प्रदेश	974	972
3	असम	1949	1510
4	बिहार	1447	8053
5	छत्तीसगढ़	11648	5752
6	गोवा	183	191
7	गुजरात	13850	14546
8	हरियाणा	3088	1725
9	हिमाचल प्रदेश	3300	3615
10	जम्मू और कश्मीर	3464	4291
11	झारखंड	4257	3312
12	कर्नाटक	5493	5953
13	केरल	941	941
14	मध्य प्रदेश	22722	22722
15	महाराष्ट्र	24587	27006
16	मणिपुर	134	161
17	मेघालय	5341	4729
18	मिजोरम	441	261
19	नागालैंड	697	595
20	ओडिशा	6794	6794
21	पंजाब	8334	0
22	राजस्थान	11208	11208
23	सिक्किम	180	149
24	तमिलनाडु	11694	10100
25	तेलंगाना	7888	4436
26	त्रिपुरा	27	701
27	उत्तर प्रदेश	56647	57702
28	उत्तराखंड	6565	2805
29	पश्चिम बंगाल	3227	3339
संघ राज्य क्षेत्र			**0**
30	अंडमान और निकोबार	62	70
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	38	42

32	लक्षद्वीप	0	0	
33	लद्दाख	190	129	
34	पुद्दुचेरी	0	0	
	कुल	**228848**	**213366**	